बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या :– 8/व० 3–157/03 अंश - I 1631 पटना, दिनांक :– 19/11/13

" बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013 " (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने वाली समिति में जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को सदस्य बनाया गया है।

" बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 " की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन–चौथाई सदस्य माता–पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर " बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 " के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को तभी सदस्य बनाया जाएगा जब उनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित हों। यदि उनके बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं हों तो जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह से अन्य दो माताओं (प्रत्येक में से एक) को जिनके बच्चे विद्यालय में नामांकित हों आम सभा से चयन के द्वारा सदस्य बनाया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/11/13

(सत्यनारायण)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व 3–157/2003 अंश-I 1631 पटना, दिनांक :– 19/11/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/11/13
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व 3–157/2003 अंश-I 1631 पटना, दिनांक :– 19/11/13

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय कार्य हेतु उपलब्ध करायी जाए।

14/11/13
सरकार के संयुक्त सचिव।